कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

क्रमांक ..82..../स्था.वि./न.पा.नि./2021 रायगढ़ दिनांक ..16-04-2021

//आदेश//

छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा, रायपुर अटल नगर जिला रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 04–08/2018/18 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 23/11/2020 एवं संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक/स्था/एक/वि/747/2021/215 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 09.04.2021 तथा छ.ग. शासन वित्त विभाग (वित्त निर्देश 21/2020) द्वारा जारी क्रमशः पत्र क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 08.03.2021 में दिये गये निर्देशों में उल्लेखित 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तथा नियत स्टायपेण्ड पर चयनित अभ्यर्थी को उप अभियंता (सिविल) के पद पर (6वां वेतनमान के आधार पर वेतनमान 9300–34800 ग्रेड वेतन 4200, एवं 7वां वेतनमान लेबल 8/1) अस्थाई रूप से निम्नांकित शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	चयनित अभर्थियो का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	प्रवर्ग	पत्र व्यवहार का पता
1.	श्री मुन्ना ओझा	श्री बिनोद ओझा	पुरूष	अनारक्षित	छोटे अतरमुड़ा, गुरूद्रोण विद्यालय के पास रायगढ़, जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

नियुक्त उप अभियंता को 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टायपेण्ड देय होगा।

प्रथम वर्ष – उप अभियंता पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत
द्वितीय वर्ष – उप अभियंता पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत
तृतीय वर्ष – उप अभियंता पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत

परिवीक्षा अवधि में स्टायपेण्ड के साथ–साथ समय पर संशोधित अनुसार प्रचलित भत्ते प्राप्त होंगे। परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर संबंधित उप अभियंता के पद पर स्थायी किये जाने की स्थिति में वेतन हेतु लागू समयमान का न्यूनतम नियत किया जायेगा।

नियुक्ति की शर्तें :–

1. भविष्य में माननीय न्यायालयों एवं छ.ग. शासन के वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से प्रसारित आदेश–निर्देश की प्रभावशीलता इस कार्यालय ([illegible]) के ऊपर रहेगी।
2. दो नग सेवा पुस्तिका एवं अपनी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी छायाप्रति की दो–दो प्रति राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा अभिप्रमाणित करवाकर साथ लेकर आयेंगे, मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन के पश्चात ही उपस्थिति मान्य की जावेगी। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत तत्काल वापस कर दिये जायेंगे।
3. 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जा रहा है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर ही सेवा में नियमित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा असंतोषजनक पाये जाने पर कारण बताये बिना सेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
4. सेवा में आने के पश्चात सेवा छोड़ने की स्थिति में संबंधित को एक माह पूर्व सूचना इस कार्यालय को देनी होगी अथवा अग्रिम में एक माह का वेतन और उस पर देय सभी भत्ते कार्यालय में जमा करना होगा।
5. सेवा की अन्य शर्तें संबंधित नियम तथा समय–समय पर लागू हुए छ.ग. शासन के आदेशों के अनुसार नियंत्रित होंगे।
6. अग्रिम शिक्षा अथवा किसी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

7. अन्यत्र नौकरी का आवेदन प्रस्तुत करने के लिये कार्यालय प्रमुख की अनुमति आवश्यक होगी।
8. जिला चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधित प्रमाण पत्र आदेश प्राप्ति के दिनांक से एक माह के अंदर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि वे नौकरी हेतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो उनका यह नियुवित आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
9. चरित्रावली के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक का संतोषप्रद प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही सेवायें जारी रहेगी। अन्यथा विपरीत संस्तुति प्राप्त होने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
10. नियुक्ति आदेश के जारी होने के दिनांक से 01 माह के भीतर नगर पालिक निगम, रायगढ़ में कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
11. अभ्यर्थी के किसी भी प्रमाण पत्र के असत्य पाये जाने पर उनकी नियुवित निरस्त करने का अधिकार कार्यालय प्रमुख को होगा।
12. नियुक्ति में आरक्षण का पूर्णतः ध्यान रखा गया है।

16.04.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्रमांक. ...59.../स्था.वि./न.पा.नि./2021, रायगढ़, दिनांक 16/04/2021,

प्रतिलिपिः–
1. महापौर/सभापति/नेताप्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा, रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. संचालक, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा, रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।
4. कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
5. पुलीस अधीक्षक, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एव विकास क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
9. कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
10. सहायक अभियंता/उप अभियंता.. नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. कार्यालय अधीक्षक/लेखापाल, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
13. निष्ठा नोड़ल अधिकारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. समस्त विभाग प्रमुख .... नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
15. समस्त विभागीय लिपिक.. नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ।
16. श्री मुन्ना ओझा पिता श्री बिनोद ओझा, पता–छोटे अतरमुड़ा गुरूद्रोण विद्यालय के पास रायगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम, रायगढ़ के वेब साईट में अपलोड़ किये जाने हेतु।

16.04.21

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner